## नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 717.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 में नियम 17 के उपनियम 17.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

''17.4 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।''

> [फा. सं. 6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी] राज सिंह, निर्देशक

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 730(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2002, का.आ. 1029(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2002 और का.आ. 1034(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## New Delhi, the 25th February, 2005

- S.O. 717.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, in rule 17, for sub-rule 17.4, the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "17.4 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F. No. 6/2/2001-EI & EP] RAJ SINGH, Director Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S O 730(E) dated the 21st August, 1995 and subsequently amended vide notifications number S.O. 415(E) dated the 11th April, 2002, S.O. 1029(E) dated the 24th September, 2002 and S.O. 1034(E) dated the 9th September, 2003